उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार–249404

Website: psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्या :: **A-3/E-2/DR/LSS/2024-25**

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	13 दिसम्बर, 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	::	04 जनवरी, 2025 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
आवेदन शुल्क– Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI payment द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	::	04 जनवरी, 2025 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन/परिवर्तन करने की तिथि	::	10 जनवरी, 2025 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन/परिवर्तन करने की अंतिम तिथि	::	20 जनवरी, 2025 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश	
1.	**उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023, दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 समय–समय पर यथा संशोधित के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।**
2.	अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करना चाहिए।
3.	**अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें वह कि ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।** सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) से किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। **विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।**
4.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। अपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा

	जायेगा। **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।**
5.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। **अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।**
6.	प्रश्नगत् परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन–पत्र एवं Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। **यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।**
7.	ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की निर्धारित अंतिम तिथि/समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर प्रश्नगत पद हेतु पुनः आवेदन कर सकता है, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित/नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
8.	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्मतिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या–13 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा। **अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।** **ऑनलाइन आवेदन में किसी महिला अभ्यर्थी द्वारा पुरूष अथवा किसी पुरूष अभ्यर्थी द्वारा महिला का दावा किये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।**
9.	**i.** आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण–पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। **अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।** **ii. प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार), मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकार) का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात् मुख्य/लिखित परीक्षा में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जायेगा।** **iii.** आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट की स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों की

	स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। **iv.** विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण–पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। **v.** मुख्य / लिखित परीक्षा में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार से पूर्व उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा –शैक्षणिक, आरक्षण आदि का, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 (यथा संशोधित) के भाग–नौ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार आयोग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु नियत तिथि पर वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। **vi. अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई–मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई0 डी0 ही आवेदन पत्र में भरें।**
10.	अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा में परीक्षा केन्द्र के चयन हेतु नगरों की सूची के लिए **परिशिष्ट–1,** प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए **परिशिष्ट–2,** आरक्षण से संबंधित प्रमाणपत्रों के प्रारूप के लिए **परिशिष्ट–3,** 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु **परिशिष्ट–4,** 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु **परिशिष्ट–5,** ऊँचाई की नापतौल में पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु छूट के सम्बन्ध में पर्वतीय प्रमाण पत्र के प्रारूप हेतु **परिशिष्ट–6,** न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत हेतु **परिशिष्ट–7** तथा अभिलेख सत्यापन / साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों की चेक–लिस्ट हेतु **परिशिष्ट–8** का अवश्य अवलोकन करें।
11.	मुख्य / लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से ही पदों हेतु ऑनलाइन वरीयता (Online Preference) ली जाएगी। पदवार वरीयता (Preference) हेतु लिंक खोलने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। वरीयता प्रपत्र (Preference Sheet) की प्रिंटआउट प्रति अन्य शैक्षिक अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अन्दर आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **पदवार ऑनलाइन वरीयता (Online Preference) भरने के पश्चात् इसमें किसी प्रकार का संशोधन संबंधी अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
12.	**प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार), मुख्य / लिखित परीक्षा (परम्परागत प्रकार) एवं साक्षात्कार के उपरान्त सम्पूर्ण प्रवीणता सूची तैयार किये जाने हेतु न्यूनतम् अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट–07 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी / उप–श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता–सूची (MERIT) हेतु विचारित किया जायेगा।**
13.	विज्ञापन के परिशिष्ट–1 में उल्लिखित नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल एवं अर्ह अभ्यर्थियों

	के लिये **मुख्य परीक्षा का आयोजन हल्द्वानी एवं हरिद्वार** नगर में स्थित परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आंवटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।
14.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन **प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे।** अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
15.	प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क पृथक से आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। **मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा न करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।**
16.	अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्रों / अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 (यथा संशोधित) में उल्लिखित प्राविधानानुसार सम्पादित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु नियत तिथि पर वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 (यथा संशोधित) जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का अवलोकन कर सकते हैं। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा।
17.	**शासनादेश संख्याः 232/XXX(2)/2018-30(05)-2014, दिनांक 26.09.2018 के अनुक्रम में निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थी भी अनारक्षित पद के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं, भले ही उनके लिए कोई रिक्ति आरक्षित हो या न हो।** यदि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो तो, उक्त श्रेणी के निःशक्तता से ग्रस्त ऐसे अभ्यर्थी को योग्यता के सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जाएगा, परन्तु दिव्यांगजन को सरकारी सेवा में प्रवेश के समय दिव्यांगता की श्रेणी से भिन्न सामान्य स्वास्थ्य उपयुक्तता का प्रमाणपत्र नियमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
18.	**प्रश्नगत परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन प्रत्येक स्तर पर पूर्णतः औपबन्धिक है। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रश्नगत परीक्षा में अन्तिम रुप से चयन कर लिया जाता है तथा चयन संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी जाती है तो वैसी दशा में भी अभ्यर्थी के अभिलेखों में त्रुटि / विसंगति पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की चयन संस्तुति शासन से वापस लेते हुए अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।**
19.	**आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ई0डब्लू0एस0 प्रमाण–पत्र, आवेदन की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए।**
20.	**उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के संबंध में उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या–244 / XXXVI(3) / 2024 / 48(1) / 2023, दिनांक 18 अगस्त, 2024 जारी की गई है।**

	उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों हेतु आरक्षित पदों पर भर्ती मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित पी0आई0एल0 सं0–152/2024 भुवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमन्त्रित किये जाते हैं।

02. रिक्तियों का विवरण :– सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024 के अन्तर्गत विभिन्न पदों हेतु रिक्तियों की **कुल संख्या 113** है। **<u>रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।</u>** रिक्तियों का विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	पदनाम	विभाग	कुल रिक्त पद	ऊर्ध्व श्रेणीवार पदों का विवरण					क्षैतिज श्रेणीवार पदों का विवरण
				सामान्य/अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
01	नायब तहसीलदार (Nayab Tehsildar)	राजस्व विभाग (Revenue Department)	36	18	08	02	05	03	**उ0म0–10** (अना0–06, अनु0ज0–02, ओ0बी0सी0–01, ई0डब्लू0एस0–01) **दिव्यांग–01** (दृष्टिहीनता या कम दृष्टि) **पूर्व सैनिक–01** **अनाथ बच्चे–01** (अना0) **कुशल खिलाड़ी–01** (अना0) **उत्तराखण्ड राज्य के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित–03** (अना0–02, अनु0ज0–01)
02	उप कारापाल (Deputy Jailor)	गृह विभाग (Home Department)	14	10	02	00	02	00	**उ0म0–04** (अना–02, अनु0ज0–01, ओ0बी0सी0–01) **उत्तराखण्ड राज्य के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित–01** (अना0)
03	पूर्ति निरीक्षक (Supply Inspector)	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (Food, Civil Supply And Consumer Affairs Department)	36	23	06	01	03	03	**उ0म0–10** (अना–07, अनु0ज0–01, ओ0बी0सी0–01, ई0डब्लू0एस0–01) **दिव्यांग–01** (PD) **पूर्व सैनिक–01** **कुशल खिलाड़ी–01** (अना0) **उत्तराखण्ड राज्य के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित–03** (अना0–02, अनु0ज0–01)
04	विपणन निरीक्षक (Marketing Inspector)		06	05	01	00	00	00	**उ0म0–01** (अनारक्षित) **दिव्यांग–01** (PD)

05	श्रम प्रवर्तन अधिकारी (Labour Enforcement Officer)	श्रम विभाग (Labour Department)	05	03	01	00	01	00	-
06	आबकारी निरीक्षक (Excise Inspector)	आबकारी विभाग (Excise Department)	05	05	00	00	00	00	उ0म0–01 (अना0)
07	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (Senior Cane Development Inspector)	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग (Sugarcane Development & Sugar Industry Department)	02	02	00	00	00	00	-
08	गन्ना विकास निरीक्षक (Cane Development Inspector)		06	06	00	00	00	00	उ0म0–01 (अना0)
09	खाण्डसारी निरीक्षक (Khandsari Inspector)		03	02	00	00	01	00	-

शासनादेश सं0– 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक 05.06.2023 के अनुसार उक्त पदों के सापेक्ष दिव्यांगता की चिह्नित श्रेणियों का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	पदनाम / विभाग	दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिह्नित श्रेणी
01	02	03
1	नायब तहसीलदार	OA, OL, LV/PB, HH/PD, LC, AAV/AV, MD
2	उप कारापाल	पद दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी हेतु चिह्नित नहीं है।
3	आबकारी निरीक्षक	पद दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी हेतु चिह्नित नहीं है।
4	पूर्ति निरीक्षक	LV/PB, HH/PD, CP, LC, DW, AAV/AV, MDY, OA, OL, MD
5	विपणन निरीक्षक	LV/PB, HH/PD, CP, LC, DW, AAV/AV, MDY, OA, OL, MD
6	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	OA, OL, LV/PB, HH,/PD, LC, DW, AAV/AV, BH, TH, HP
7	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	D, HH/PD, OL, CP, LC, DW, AAV/AV, MDY
8	गन्ना विकास निरीक्षक	LV/PB, D, HH/PD, OL, CP, LC, DW, AAV/AV, MDY
9	खाण्डसारी निरीक्षक	LV/PB, D, HH/PD, OL, CP, LC, DW, AAV/AV, MDY

नोटः– स्तम्भ–02 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष स्तम्भ–03 में उल्लिखित दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त चिन्हित उपश्रेणियों के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थी प्रश्नगत पदों के सापेक्ष आवेदन नहीं कर सकते है।

03. उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021 के अंतर्गत विभिन्न पदों के सापेक्ष वेतनमान, पद का स्वरूप, शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता तथा शारीरिक योग्यता का विवरण निम्नवत् है:–

01.	**नायब तहसीलदार–**		
	कुल पदों की संख्या	::	36 पद
	पद का स्वरूप	::	समूह 'ग' अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त
	वेतनमान	::	रू0 44,900–1,42,400 (लेवल–07)
	शैक्षिक अर्हता	::	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता।
	अधिमानी अर्हता	::	**(1)** प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
		::	**(2)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

02.	**उप कारापाल–**		
	कुल पदों की संख्या	::	14 पद
	पद का स्वरूप	::	समूह 'ग' अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त
	वेतनमान	::	रू0 35,400–1,12,400 (लेवल–06)
	शैक्षिक अर्हता	::	**(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
		::	**(दो)** देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।
	अधिमानी अर्हता	::	**(1)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
		::	**(2)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
	अन्य अनिवार्य अर्हता (यथा शारीरिक दक्षता)	::	**(एक) पुरूष–** पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य/पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये ऊँचाई 165 से0मी0 और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये ऊँचाई 160 से0मी0 एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये ऊँचाई 157.5 से0मी0 होनी चाहियें। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य/पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये सीने की माप, छाती बिना फुलाये 78.8 से0मी0 तथा फुलाने पर 83.8 से0मी0, पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये बिना फुलाये 76.3 से0मी0 तथा फुलाने पर 81.3 से0मी0 होनी चाहिये। **दृष्टि–** 6/6

		::	**(दो) महिला–** पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य/पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये ऊँचाई 152 से0मी0 और पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये ऊँचाई 147 से0मी0 होनी चाहिये। सभी के लिये वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम अनिवार्य है। **दृष्टि–** 6/6
	टिप्पणीः–अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के लिये विनियम वही होंगे जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे।		
03.	**पूर्ति निरीक्षक–**		
	कुल पदों की संख्या	::	36 पद
	पद का स्वरूप	::	समूह 'ग' अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त
	वेतनमान	::	रु0 35,400–1,12,400 (लेवल–06)
	शैक्षिक अर्हता	::	किसी मान्यता प्राप्त विश्वद्यिालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
	अधिमानी अर्हता	::	**(1)** ऐसे अभ्यर्थी को जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। अथवा
		::	**(2)** नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र अथवा एन0एस0एस0 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, को अन्य बातों के समान होते हुये भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

04.	**विपणन निरीक्षकः–**		
	कुल पदों की संख्या	::	06 पद
	पद का स्वरूप	::	समूह 'ग' अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त
	वेतनमान	::	रु0 35400–112400 (लेवल–6)
	शैक्षिक अर्हता	::	किसी मान्यता प्राप्तविश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
	अधिमानी अर्हता	::	**(एक)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
		::	**(दो)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

05.	**श्रम प्रवर्तन अधिकारी**		
	कुल पदों की संख्या	::	05 पद

	पद का स्वरूप	::	समूह 'ग' अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त
	वेतनमान	::	रु0 35,400–1,12,400 (लेवल–06)
	शैक्षिक अर्हता	::	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।
	अधिमानी अर्हता	::	**(1)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की सेवा की हो, या
		::	**(2)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

06.	**आबकारी निरीक्षक–**		
	कुल पदों की संख्या	::	05 पद
	पद का स्वरूप	::	समूह 'ग' अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त
	वेतनमान	::	रु0 44,900–1,42,400 (लेवल–07)
	शैक्षिक अर्हता	::	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि।
	अधिमानी अर्हता	::	**(एक)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
		::	**(दो)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
	अन्य अनिवार्य अर्हता (यथा शारीरिक स्वस्थता):–	::	**(क) ऊंचाई–**

	पुरुष अभ्यर्थी	**महिला अभ्यर्थिनी**
सामान्य/अन्य वर्ग	167.60 से.मी.	152 से.मी.
अनुसूचित जाति	160.00 से.मी.	147 से.मी.
पर्वतीय क्षेत्र	162.60 से.मी.	147 से.मी.

(ख) छाती/सीने की माप (केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए)–

	बिना फुलाये	**फुलाये जाने पर**
सामान्य/अन्य अभ्यर्थी	78.8 से.मी.	83.8 से.मी.
अनुसूचित जाति एवं पर्वतीय क्षेत्र	76.3 से.मी.	81.3 से.मी.

न्यूनतम फुलाव 5 से0मी0 अनिवार्य है।

(ग) शारीरिक वजन (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये):– 45 कि0ग्रा0

07.	**ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक–**		
	कुल पदों की संख्या	::	02 पद
	पद का स्वरूप	::	अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त (समूह–'ग')

	वेतनमान	::	रू0 35,400–1,12,400, लेवल–06
	शैक्षिक अर्हता	::	**(01)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि रखता है। **(02)** ऐसे अभ्यर्थी को जो, कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो अन्य बातों के समान होने पर समूह एक–सामान्य और समूह दो–सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
	अधिमानी अर्हता	::	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा :– **(क)** प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या **(ख)** राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

08.	**<u>गन्ना विकास निरीक्षक</u>–**		
	पदों की संख्या	::	06 पद
	वेतनमान	::	रू0 29,200–92,300, लेवल–05
	पद का स्वरूप	::	अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त (समूह–'ग')
	शैक्षिक अर्हता	::	**(01)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की उपाधि रखता है। **(02)** ऐसे अभ्यर्थी को जो, कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो अन्य बातों के समान होने पर समूह एक–सामान्य और समूह दो–सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
	अधिमानी अर्हता	::	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा :– **(क)** प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या **(ख)** राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

09.	**खाण्डसारी निरीक्षक**		
	पदों की संख्या	::	03 पद
	वेतनमान	::	रू0 29,200–92,300, लेवल–05
	पद का स्वरूप	::	अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त (समूह–'ग')
	शैक्षिक अर्हता	::	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान रखता हो।

	अधिमानी अर्हता	::	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा :– **(क)** प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या **(ख)** राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या **(ग)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो।

04. आयु :– आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2024 है, अर्थात 01 जुलाई, 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2003 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1982 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

05. अधिकतम् आयु सीमा में छूट :– विभिन्न श्रेणियो/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी।

(i) उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में **05 वर्ष** की छूट अनुमन्य है।

(ii) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता सग्रांम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या 1244/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में **05 वर्ष** की छूट अनुमन्य है।

(iii) उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में **10 वर्ष** की छूट अनुमन्य है।

(iv) अधिसूचना सख्या 6/1/72 कार्मिक–2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

शासनादेश संख्या 51/XXX(2)2021-53(01)/2001, दिनांक 09 फरवरी, 2021 एव शासनादेश संख्या 277/XXX(2)2021-30(21)/2018, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सबंध में निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किए गये हैं–

(a) Once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of reemployment would cease.

(b) The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as

prescribed for exservicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for exservicemen in State Govt. jobs.

If an ex-serviceman applies for various vacancies before joining any civil employment, he/she can avail the benefit of reservation as ex-serviceman for any subsequent employment. However, to avail this benefit, an ex-serviceman as soon as he/she joins any civil employment, should give self declaration/undertaking to the concerned employer about the date-wise details of application for various vacancies for which he/she has applied for before joining the initial civil employment. Further, this benefit would be available only in respect of vacancies which are filled on direct recruitment and wherever reservation is applicable to the exserviceman.

06. अनिवार्य / वांछनीय अर्हता :–

(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार निम्नवत हैः–

शासन की अधिसूचना संख्या–164/XXX-2/19-01(17)/2012, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा 'उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक / अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति / पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र / पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह ''ग'' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे',

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो अजीविका / अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति / पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र / पुत्री भी समूह ''ग'' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(ii) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ''ग'' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम–4 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत **समूह ''ग''** के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक–1097/XXX(2)/2011, दिनाँक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार ''जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। **''उत्तराखण्ड**

शासन के पत्र संख्या 310/XXX(2)/2015, दिनाँक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाऐं सम्मिलित हैं।''

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत् हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रुप से अर्ह किया जायेगा कि वह इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गयी है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा।

(iii) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनाँक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार ''जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।''

नोट – अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु अनिवार्य/वांछनीय अर्हता के प्रस्तर–i, ii, iii में उल्लिखित शर्तो के अंतर्गत किसी भी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है, जो अभ्यर्थी पर लागू हो।

07. आरक्षण :– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतत्रंता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांग, उत्तराखण्ड महिला, उत्तराखण्ड के अनाथ, **उत्तराखण्ड के कुशल खिलाडी ((1) ओलंपिक खेल, (2) विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल, (3) कॉमनवेल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप, (4) कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल – पदक विजेता/प्रतिभाग)**, एवं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व उनके आश्रित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। **ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।**

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0), महिला, कुशल खिलाडी एवं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व उनके आश्रित श्रेणी के **ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।**

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उप श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(i) शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य

पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।

(ii) अधिसूचना संख्या**: 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019** द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण) अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्याधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। **"आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये"।**

(iii) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों के आलोक में दिया जाएगा।

(iv) उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 179/XXX(2)/2021-30(2)/2019, दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता–पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 एवं शासनादेश संख्या–11/XXX(2)/2022-30(2)/2019, दिनांक 16 फरवरी, 2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। उक्त आरक्षण के दावे के समर्थन में **सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।**

(v) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः–09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में **उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम–2022 के प्रस्तर–3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।**

(vi) उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 208271/XXX(2)/2024-E40510 दिनांक 01 मई, 2024 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाडियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम–2024 के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित कुशल खिलाडियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/ एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ अधिसूचना सख्या– 133/XXXVI(3)2009/ 14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासी, सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या– 124/XXX(2)/2020-53(01)/2001, दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर–8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सदंर्भ में भारत सरकार के **"O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his exserviceman status for the purpose of re-**

employment in Government would cease.” का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सवेाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सवेाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ निर्धारित अभिलेख सत्यापन के समय आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता में समकक्षता/छूट हेतु निर्गत शासनादेश सं0–38(1)/XXX(2)/2021–30(21)/2018, दिनांक 18.02.2021 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित ''ऐसे पूर्व सैनिक जो मैट्रीकुलेट हों तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को उनके लिये आरक्षित सिविल पदों के समूह–ग की उन सेवाओं/पदों के लिये अर्ह माना जायेगा, जिनके लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित हो, परन्तु जहां उनके लिये तकनीकी या व्यवसायिक अनुभव अनिवार्य न हो या जहां गैर तकनीकी व्यवसायिक कार्य अनुभव अनिवार्य हो के आलोक में शैक्षिक अर्हता स्नातक की समकक्षता संबधी छूट प्रदान की जायेगी।

(viii) दिव्यांग आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम **40 प्रतिशत की दिव्यांगता होना अनिवार्य है।** जो भी पद दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षित हैं, उसी दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत **परिशिष्ट–4** में संलग्न है।

(ix) उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के संबंध में उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा अधिसूचना सं0– 244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18.08.2024 जारी की गई है। प्रश्नगत आरक्षण के संबंध में जारी शासनादेश सं0– 139(1)/XX(8)/24-27(रा0आ0)/2018 दिनांक 24.11.2024 के क्रम में जो राज्य आंदोलनकारी पूर्व से ही राज्य आंदोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित होने का लाभ ले चुके हैं, वे पुनः अन्य सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने हुए पात्र नहीं होगें। प्रत्येक राज्य आंदोलनकारी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आंदोलनकारी कोटे से क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है अथवा नहीं। प्रश्नगत अधिसूचना एवं शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को आरक्षण देय होगा।

आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति सहित अन्य स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ अभिलेख सत्यापन के समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख “परिशिष्ट–3” में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी

द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

08. राष्ट्रीयता :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो :

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे के सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

स्पष्टीकरण :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

09. चरित्र :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

10. वैवाहिक प्रास्थिति :– सेवा में नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और न ही ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक या अधिक पत्नी जीवित हो;

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

11. शारीरिक स्वस्थता :– किसी अभ्यर्थी को सेवा के किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व

उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियमों 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

12. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया (Procedure to apply online) :-

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्य्क रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** या **ukpsc.net.in** पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात **ukpsc.net.in** पर जाकर **Menubar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।
3. **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर **वॉछित,** अपनी सही जानकरी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के आधार पर एक या एक से अधिक पदों का चुनाव कर सकता है। अभ्यर्थी अपने शैक्षिक विवरण के अनुसार **High School** का विवरण भर कर **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **reupload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Checkbox** पर क्लिक कर पुन **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।
6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात **"I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself" declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। ततपश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फार्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म पर पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। वॉछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Final Button** पर क्लिक कर, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें । **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।

7. **Final Submission के उपरान्त आवेदन–पत्र** में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द **(Cancel)** कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** की जगह **Back** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल पर ओ0टी0पी0 **(OTP)** प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन **(Cancel Application)** के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोटः (1) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म में वापस **(Back)** जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या **(Technical Issue)** के समाधान हेतु अभ्यर्थी **ukpschelpline@gmail.com** पर ई–मेल कर सकते हैं।

(2) **Final Submission** के पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर Edit** नहीं किया जा सकता है।

13. **संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया :–** ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा–निर्देशः–

(i) ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत **Edit/Correction** का लिंक खोला जाएगा।

(ii) Edit/Correction हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।

(iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई–मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन कर पायेंगे।

(iv) लॉग–इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में **(मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को छोड़कर)** आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।

(v) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र में **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।

(vi) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तो के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नही होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

14. आवेदन शुल्क :– प्रश्नगत् परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

क्र0सं0 (Sr. No.)	**श्रेणी** (Category)	**आवेदन–शुल्क** (Application Fees)	**प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित** (Processing Fees with Tax)	**कुल शुल्क** (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रू0 150	रू0 22.30	रू0 172.30
02.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 150	रू0 22.30	रू0 172.30
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 150	रू0 22.30	रू0 172.30
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	रू0 60	रू0 22.30	रू0 82.30
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	रू0 60	रू0 22.30	रू0 82.30
06.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/ राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
07.	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग (चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग)	कोई शुल्क नहीं	रू0 22.30	रू0 22.30

नोटः (1) उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड कुशल खिलाडी/उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व उनके आश्रित जिस वर्ग या श्रेणी, **यथा–**अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(2) उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या– 1673/XXX(2)/2010, दिनांक 10 नवम्बर, 2010 एवं शासन के पत्र सं0–**232/XXX(2)/2018/30(05)/2014 दिनांक 26 सितम्बर, 2018** के क्रम में विज्ञापित पदों के सापेक्ष चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छुट अनुमन्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रू 22.30 देय होगा।

15. अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवानियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर उपलब्ध है।

(03) ऑनलाइन आवेदन–पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में मुख्य (लिखित) परीक्षा से पूर्व आयोग कार्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त किए जायेंगे। **आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 (यथा संशोधित), के आलोक में सम्पन्न की जायेगी।**

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि मुख्य (लिखित) परीक्षा के पूर्व तत्समय आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की

जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु मुख्य (लिखित) परीक्षा के पूर्व प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है। प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के माध्यम से मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों का आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(05) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

(06) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई–मेल ukpschelpline@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

(07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(08) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा में बुलाये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा के लिए बुलाये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। स्क्रीनिंग/प्रारम्भिक परीक्षा कराये जाने की दशा में एक सामान्य अध्ययन तथा सामान्य बुद्धि परीक्षण (General Studies and General Aptitude Test) की 150 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(09) स्क्रीनिंग/प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी।

(10) गलत उत्तरों के लिए दण्ड – वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(11) प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त् आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त् प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त् विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(12) प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(13) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(14) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(15) परीक्षा केन्द्र में आचरण– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर–पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(16) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(17) प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (यदि आयोजित होती है तो) में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जायेगा। **प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक, अंतिम चयन परिणाम में मुख्य (लिखित) परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा के अंकों के साथ नही जोड़े जायेगे** तथा अंतिम चयन परिणाम मुख्य (लिखित) परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों व अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा के दौरान दी जाने वाली ऑनलाइन वरीयता के आधार पर नियमानुसार

(आरक्षण आदि का लाभ देते हुए) घोषित किया जायेगा। प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

(18) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(19) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(20) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(21) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(22) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन–पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जायेगा एवं आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/ Credit Card के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(23) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 यथा संशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(24) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही– अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(25) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा– 1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की

पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसीमहत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ड़) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(26) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(27) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(28) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(29) अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(30) सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(31) अभ्यर्थी प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(32) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

-sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

परिशिष्ट–01

सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की परीक्षा का आयोजन निम्न नगरों में कराया जाना प्रस्तावित है:–

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र के सम्बन्धित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करें–

S.No.	Center	City Code
01.	Almora	01
02.	Ranikhet	02
03.	Bageshwar	03
04.	Champawat	04
05.	Haldwani	05
06.	Pithoragarh	06
07.	Rudrapur	07
08.	Khatima	08
09.	Dehradun	09
10.	Rishikesh	10
11.	Haridwar	11
12.	Roorkee	12
13.	Tehri Garhwal	13
14.	Uttarkashi	14
15.	Chamoli	15
16.	Pauri Garhwal	16
17.	Srinagar	17
18.	Kotdwar	18
19.	Rudraprayag	19

***नोटः*– *अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटायी–बढ़ायी जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितयों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आंवटित किये जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।*

परिशिष्ट–02

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा
परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम

परीक्षा योजनाः– **प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार निम्नलिखित स्तर सम्मिलित हैं यथा–**

(1) प्रारंभिक परीक्षा– केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)

(2) मुख्य परीक्षा– लिखित परीक्षा (विषयपरक प्रकार की)।

(3) व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार)।

1. प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

विषय	**अधिकतम अंक**	**समय (घण्टे)**	**प्रश्नों की संख्या**
सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण	150	02	150

नोटः–प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मैरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जायेंगे।

2. मुख्य परीक्षा– लिखित परीक्षा (विषयपरक)

प्रश्न पत्र	**विषय**	**अधिकतम अंक**	**समय (घण्टे)**	**प्रश्नों की संख्या**
प्रथम प्रश्न पत्र	भाषा (सामान्य हिन्दी)	100	02	06
द्वितीय प्रश्न पत्र	निबंध	100	02	02
तृतीय प्रश्न–पत्र	सामान्य अध्ययन–प्रथम	200	03	20
चतुर्थ प्रश्न–पत्र	सामान्य अध्ययन–द्वितीय	200	03	20
कुल अंक		**600**		

नोटः– भाषा (सामान्य हिन्दी) के प्रश्न–पत्र में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

3. व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) – 75 अंक।

Examination Scheme/Syllabus for Uttarakhand Combined State Lower Subordinate Services Exam

Plan of Examination – There will be following tiers of the examinations –

(1) Preliminary Examination- Only one paper of General Study & General Aptitude Test (Objective Type)
(2) Main Examination- Written Examination (Descriptive Type)
(3) Personality Test (Interview)

1. Preliminary Examination- (Objective Type)

Subject	Maximum Marks	Time (Hours)	No. of Questions
General Study & General Aptitude Test	150	02	150

Note : Marks obtained in Preliminary Examination shall not be added with the marks obtained in Main written Examination for determining the merit.

2. Main Examination – Written Examination (Subjective Type)-

Paper	Subject	Maximum Marks	Time (Hours)	No. of Questions
Paper- I	Language (General Hindi)	100	02	06
Paper- II	Essay	100	02	02
Paper –III	General Study : First Paper	200	03	20
Paper- IV	General Study : Second Paper	200	03	20
Total		600		

Note : It is essential to obtain minimum 35% marks in Language (General Hindi).

3. Personality Test (Interview) – 75

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समय–2 घंटे **अधिकतम अंक–150**

खण्ड–1 : सामान्य अध्ययन

अधिकतम अंक–100 **कुल प्रश्न–100**

1 सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी : सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी सम्बन्धी प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग, प्रेक्षण एवं अनुभव पर आधारित होंगे, जो कि ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हैं जिसका विज्ञान या कंप्यूटर की किसी भी शाखा में विशेष अध्ययन न हो।

2 भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन : भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत प्रश्न; प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन, राष्ट्रवाद के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित होंगे।

3 भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था :भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्न; भारतीय राज्यव्यवस्था, संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित होंगे।

4 भारत का भूगोल एवं जनांकिकी : इसके अन्तर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक पारस्थितिकीय और सामाजिक–आर्थिक जनांकिकीय पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित होंगे।

5 सम–सामयिक घटनाएं :इसके अन्तर्गत प्रश्न समसामयिक उत्तराखण्ड राज्यीय तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं खेलकूद सहित की समझ पर आधारित होंगे।

6 उत्तराखण्ड का इतिहास : उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः प्राचीनकाल (आरम्भ से 1200 ई0 तक)ः मध्यकाल (1200 से 1815 ई0 तक)ः प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका और इससे सम्बन्धित प्रमुख विभूतियाँ, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन, उत्तराखण्ड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में; विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान; विभिन्न समाज सुधार आन्दोलन

तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, दलितों एवं महिलाओं हेतु उत्तराखण्ड शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम।

7 उत्तराखण्ड की संस्कृति :जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, परम्पराएं एवं रीति–रिवाज, वेश–भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, खान–पान, कला शिल्प ; नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटन–स्थल, महत्वपूर्ण खेलकूद, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार,उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि तथा उनका हिन्दी–साहित्यएवं लोक–साहित्य में योगदान, उत्तराखण्ड शासन द्वारा संस्कृति के विकास हेतु उठाए गए कदम।

8 उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकीः भौगोलिक स्थिति। उत्तराखण्ड हिमालय की प्रमुख विशेषताएं। उत्तराखण्ड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन एवं बागवानी। प्रमुख फसलें एवं फसल चक्र। सिंचाई के साधन।कृषि जोतें। प्राकृतिक एंव मानव जनित आपदायें एवं आपदा प्रबन्धन। जल संकट और जलागम प्रबन्धन। दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याऐं। पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन। जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। उत्तराखण्ड की जनसंख्याः वर्गीकरण, धनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन।

9 उत्तराखण्ड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश।

राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेशः–उत्तराखण्ड में गठित सरकारें एवं उनकी नीतियाँ, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं, प्रदेश की राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती–राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता।

प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–गोरखा एवं ब्रिटिश शासन काल में भूमि सम्बन्धी व्यवस्थाएँ– जिला भूमि प्रबन्धन (थोकदारी, वन पंचायतें, सिविल एवं सोयम वन केशर हिन्द (बेनाप भूमि) नजूल, नयाबाद बन्दोबस्त)। आधुनिक काल–उत्तर प्रदेश एवं कुमाऊँ–उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद भूमि–सुधार, लैंड टैन्योर में परिर्वतन, लगान वसूली व्यवस्था। राजस्व पुलिस–व्यवस्था।

आर्थिक परिवेशः– सीमान्त जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार एवं व्यापार की वर्तमान स्थिति, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोतों की अलाभकर स्थिति व चकबंदी की आवश्यकता, बेगार तथा डडवार प्रथा।

10 आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनः–मानव संसाधन,प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवम् प्रमुख शिक्षण संस्थान; वन, जल, जडी–बूटी, कृषि, पशुधन, जल–विद्युत, खनिज, पर्यटन, उद्योग (लघु व ग्रामीण) संसाधनों के उपयोग की स्थिति।

उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ/आर्थिक क्रियायें एवं इनका राज्य जी0 डी0 पी0 में योगदान, उत्तराखण्ड में

विकास की प्राथमिकतायें व नियोजन की नवीन रणनीति तथा समस्याएँ। उत्तराखण्ड में विपणन की सुविधाएं तथा कृषि मन्डियां, उत्तराखण्ड के बजट की प्रमुख विशेषताएँ।

खण्ड–2 : सामान्य बुद्धि परीक्षण

अधिकतम अंक–50 **कुल प्रश्न–50**

1 सामान्य बुद्धिमता : इसके अन्तर्गत प्रश्न सामान्य बुद्धिमता से संबंधित जैसे शाब्दिक और गैर–शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे और इसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आदि सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता का सामान्य विचार और संकेत और उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आदि के प्रश्न भी शामिल होंगे।

Combined Lower Subordinate Services Exam

Syllabus for Preliminary Examination

General Studies and General Aptitude Test (Objective Type)

Time : 2 Hours **Maximum Marks : 150**

Part -1 : General Studies

Maximum Marks-100 **Total Questions-100**

1 **General Science and Knowledge of Computer Operation:**Questions on General Science and Computer operation will cover general understating and application of science and Computers including matters of day to day observation and experience as may be expected from an educated person who has not made a special study of any scientific or computer discipline.

2 **History of India and Indian National Movement:**Questions on history of India and Indian National Movement will be based on broad understanding of ancient, mediaeval and modern India's political, social, economic, and cultural aspects and India's Freedom movement, growth of nationalism and attainment of Independence.

3 **Indian polity and Economy:**Questions on Indian polity and economy will be based on Indian polity, Constitution, Panchayati raj and Community development, broad features of Indian economy and planning.

4 **Geography and Demography of India:**Questions will be based on a broad understanding of geographical, ecological and socio-economic aspects and demography of India.

5 **Current Events:**Questions will be based on important UttarakhandState, National and International current events including games.

6 **History of Uttarakand:** Historical background of Uttarakhand: Ancient period (from earliest to 1200 AD) ; Mediaeval period (from 1200 to 1815 AD): Important dynasties and their achievements; Gorkha invasion and administration, British rule, Tehri State and its administration, role of Uttarakhand in the Freedom Movement of India and related eminent personalities, historical sites and monuments; movements for the formation of Uttarakhand, contribution of people of Uttarakhand in National and International fields, especially in Armed forces;

different social reform movements, and different welfare programmes of Uttarakhand for SC, ST, children, minorities and women.

7 **Culture of Uttarakand:** Castes and tribes, religious and folk beliefs, literature and folk literature, traditions and customs, costumes and ornaments; Fairs and Festiveals, food habits, art and Crafts, dances, songs, musical instruments, major tourist places, important sports, tournaments and awards, famous authors and poets of Uttarakhand and their contribution in the field of Hindi literature and folk literature, State steps taken by Uttarakhand for the development of culture.

8 **Geography and Demography of Uttarakhand :** Geographical Setup. Salient features of Uttarakhand Himalaya. Rivers and streams, mountains, climate, forest resources and horticulture. Major crops and crop rotation. Means of irrigation. Agricultural holdings. Natural and man-made calamities and Disaster management. Water crises and watershed management. Problems of remote areas. Environment and environmental movements. Biodiversity and its preservation. Population of Uttarakhand: Classification, density, sex ratio, literacy and out-migration.

9 **Economic, Political and Administrative Background of Uttarakhand :**

Political and Administrative Background- Elected governments in Uttarakhand and their policies, different services in the State, the political and administrative systems, Panchayti raj,Community development and Co-operatives.

The historical background of the adminstrative system in Uttarakhand- Land management system under Gorkhas rule and British rule, district land management (Thokdari, van panchayat, civil and soyam forest, Kesar-i-hind(benap land)Nazul, nayabad settlements) Modern period Uttar Pradesh and Uttarakhand-Kumaun land reforms, changes in land tenures and collection of land revenue after the enforcement of Zamidari Abolition Act, revenue police system.

Economic background – Indo-Tibetan trade from border districts, the present position, local agriculture and animal husbandry, the uneconomic condition of land holdings and need for consoldation of holdings, Begar and Dadwar systems.

10 **Economic and natural resoures :** Human resources, Education system of the State and important educational institutes; forest, water, herbs, agriculture, animals, hydro electricity, minerals, tourism, industries (Small and Village), the position of utiliszation of resources.

Various schemes being implemented in Uttrarakhand for the eradication of poverty and unemployment and for economic development. Economic activities and their contribution in the State GDP. The priorities of development in Uttarakhand and new strategies of planning and its problems. Marketing facilities in Uttarakhand and agriculture mandis. The salient features of the budget of UttarakhandState.

Part -2 : General Aptitude Test

Maximum Marks-50 **Total Questions-50**

1 **General Intelligence :** The questions on general intelligence will cover, both, verbal and non verbal types, including questions on analogies, similarities, differences, space visualization, problem solving, analysis, judgement, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification and arithmetical number series. The test will also include questions designed to test the candidate's abilitiy to deal with abstract ideas, symbols and their relationships, arithmetical computations and other analytical functions.

सामान्य हिन्दी

अधिकतम 100 अंक **समयावधि – 2 घंटे**

1– वर्ण एवं शब्द

स्वर एवं व्यंजन वर्ण, सन्धि एवं भेद, समास एवं भेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, व्याकरणिक कोटियाँ–(संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण तथा अव्यय) अंकः–10

2– शब्द रचना और अर्थ

पर्यायवाची शब्द, विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द, शब्द–युग्म, (समोच्चरितप्राय भिन्नार्थक शब्द) वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़ शब्द अंकः–15

3–वाक्य रचना

वाक्य की परिभाषा, वाक्य के मुख्य अवयव, वाक्य और उपवाक्य, वाक्य के भेद (अर्थ एंव रचनागत) वाक्यांतरण, शब्द एवं वाक्य शुद्धिकरण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे (अर्थ एवं प्रयोग)

अंकः–10

4–अपठित या पाठवोधन

अपठित गद्यांश पर आधारित भाषाबोध एवं व्याकरण विषयक पाँच प्रश्न

अंकः–5×3=15

5– संक्षेपण

शीर्षक, सारांश एवं रेखांकित अंश की व्याख्या

शीर्षक–3 अंक

सारांश–6 अंक

रेखांकित की व्याख्या–6 अंक

अंकः–15

6–हिन्दी आलेखन

(क) सरकारी पत्र, अर्धसरकारी पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक (स्मरण पत्र) कार्यालय–आदेश, कार्यालय–ज्ञापन, अधिसूचना, रिपोर्ट या प्रतिविदेन।

अंकः–15

(ख) अंग्रेजी–गद्यांश का हिन्दी अनुवाद
हिन्दी–गद्यांश का अंग्रेजी अनुवाद

अंकः–10+10= 20

निबंध

अधिकतम अंकः 100 **समयः 2 घंटे**

इस प्रश्नपत्र में दो खण्ड 'अ' और 'ब' होंगे। प्रत्येक खण्ड से निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 700 शब्दों का निबंध लिखना होगा :

खण्ड–अ

1. साहित्य एवं संस्कृति।
2. सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषय।
3. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विषय।
4. राष्ट्रीय विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियाँ।
5. पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदा (भू–स्खलन, जलप्रलय, सूखा एवं भूकंप आदि)

खण्ड–ब

1. उत्तराखंड का ऐतिहासिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य।
2. उत्तराखंड की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना।
3. उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन।
4. उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक एवं राजनैतिक भूमिका तथा महिला सशक्तिकरण।
5. उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यटन। उत्तराखंड में पलायन की समस्या।

सामान्य अध्ययन–प्रथम प्रश्न–पत्र

अधिकतम 200 अंक **समयावधि – 03 घंटे**

भारत का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज

विभिन्न कला आयाम, प्राचीन से आधुनिक भारत तक– उनके महत्वपूर्ण तत्व। साहित्य, चित्रकला, संगीत।

भक्ति आन्दोलन, सूफी मत का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। प्रमुख व्यक्तित्व।

सामाजिक–धार्मिक आन्दोलन तथा उनका भारतीय जन तथा जनजीवन पर प्रभाव।

भारतीय स्थापत्य कला – प्रमुख भवन, उनकी विशेषताएं।

प्राचीन भारतीय इतिहास–महत्वपूर्ण शासक तथा उनका योगदान।

मध्यकालीन भारत–महत्वपूर्ण शासक, उनकी नीतियाँ, तथा आधुनिक भारत में संक्रमण (मुस्लिम शासन के पतन के विभिन्न कारण, उथल–पुथल की स्थिति तथा आधुनिक भारत में संक्रमण)।

आधुनिक भारत

- भारत में विदेशी शक्तियों के मध्य सत्ता संघर्ष, अंग्रेजों का भारत में उदय, उनकी नीतियाँ तथा उसका भारत तथा भारतवासियों पर प्रभाव, प्रमुख अंग्रेज शासक।
- अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का प्रभाव।
- धन की निकासी (भारत से)।
- रेल तथा अन्य संचार माध्यमों की स्थापना, क्या इन सेवाओं ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को साधा।
- शिक्षा की प्रगति, भारतीय शिक्षा नीति के प्रति अंगेजी दृष्टिकोण।
- अफगानिस्तान, बर्मा, तिब्बत के प्रति अंग्रेजी नीति। भारत तथा विश्व पर इसका प्रभाव।
- देशी भारतीय शासकों के साथ ब्रिटिश सम्बन्ध।
- सहायक सन्धि, व्यपगत का सिद्वान्त जैसी नीतियाँ, अंग्रेजों के उदेश्य तथा बाद के प्रभाव।

स्वतन्त्रता आन्दोलन

- भारत में पुर्नजागरण तथा इसका राष्ट्रीय आन्दोलन पर प्रभाव।
- महात्मा गांधी का राष्ट्रीय पटल पर पर्दापण।
- राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्न आयाम–असहयोग आन्दोलन से केबिनेट मिशन तक।
- भारत के विभिन्न भागो से आम जनता की भागीदरी।

- कृषक तथा जनजातीय आन्दोलन जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को गति दी।
- प्रमुख व्यक्तित्व जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को आधार प्रदान किया, उनकी विचारधारा।
- विभाजन– परिस्थितियां तथा कारण।

स्वतन्त्रता पश्चात भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- आर्थिक चुनौतियाँ।
- सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रोत्साहनों से भारत का निर्माण।
- पंच–वर्षीय योजना का लागू होना तथा कालान्तर में नीति आयोग की स्थापना।

उत्तराखण्ड का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज

उत्तराखण्ड का इतिहास : प्रागैतिहासिक तथा आद्य–ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (पाषाण कालीन उपकरण, चित्रित धूसर मृद्भांड संस्कृति, महापाषणिक संस्कृति), उत्खनित पुरातात्विक स्थल, उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक अतीत के इतिहास के स्त्रोत(साहित्यिक, पुरातात्विक, मौखिक,) प्राचीन जनजातियां तथा समुदाय, कुणिन्द तथा यौधेय राजवंश, कत्यूरी, परमार तथा चंद राजवंश का प्रशासन तथा सांस्कृतिक उपलब्धियां, उत्तराखण्ड के शासकों का सिक्खों, दिल्ली के शासकों, नेपाल तथा सिरमौर के साथ मध्यकाल में संबंध, गोरखों का आक्रमण तथा प्रभाव, प्रशासन तथा दास व्यापार। यूरोपीय यात्रियों, सर्वेक्षकों तथा ईसाई धर्म प्रचारकों का आगमन, सैन्य छावनियों की स्थापना तथा सामाजिक प्रभाव, औपनिवेशिक भू तथा भू–राजस्व प्रशासन, वानिकी तथा आबकारी नीति। क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थाएं, प्रेस तथा पत्रकारिता। आर्य समाज तथा शुद्धीकरण आन्दोलन, लोकप्रिय जन–प्रतिरोध–कुली–बेगार, डोला–पालकी, गाडी–सडक, वन आन्दोलन। उत्तराखण्ड में गांधी का आगमन(1915, 1929ई0) तथा जनसंपर्क। गांधीवादी आन्दोलनों की स्थानीय तथा लोकप्रिय सहभागिता। इंडियन नेशनल आर्मी(आई0एन0ए0) तथा इसका समर्थन आधार, टिहरी रियासतः प्रशासन, ढंढक, प्रजामंडल आन्दोलन तथा भारतीय संघ में विलय, उत्तराखण्ड में पृथक राज्य निर्माण हेतु संघर्ष।

धार्मिक जीवन तथा पंथ (शैव मत, वैष्णव, बौद्ध, जैन, नाथ, लकुलीश), मंदिर स्थापत्य– प्रकार तथा विशेषताएं, पाषाण कला, धातु कला, काष्ठ कला, परंपरागत ज्ञान पद्धति तथा स्थापत्य, चित्रण कला, संगीत, नृत्य तथा गीत। जलीय, स्थापत्य–कूप, नौला, खाल तथा घराट। लोक देवता, जागर, पांडव लीला। वेश–भूषा तथा आभूषण, मेले तथा त्यौहार, तीर्थस्थल तथा पर्यटक केन्द्र– कुम्भ मेला, चार–धाम यात्रा, हेमकुंड साहिब, नानकमत्ता, कैलास मानसरोवर, पिरान कलियर, नंदा राजजात यात्रा, लोक–वाद्य, खान–पान तथा स्थानीय व्यंजन, उत्तराखण्ड की महान विभूतियां(आध्यात्मिक संत, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक तथा कलाकार), गढवाली तथा कुंमाऊँनी भाषा, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सरकार के प्रयास।

भारतीय संविधान और राजव्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था

भारतीय संविधान का विकास: इतिहास और संविधान सभा बहस; मुख्य विशेषताऐं; प्रस्तावना और बुनियादी संरचना; संशोधन प्रक्रियाएँ और संशोधन अधिनियम।

अधिकार और कर्तव्य: नागरिकता; मौलिक अधिकार; राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत; मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध; और मौलिक कर्तव्य।

संघ और राज्य कार्यपालिका: राष्ट्रपति; प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद–शक्तियाँ और कार्य; राज्यपाल; मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद–शक्तियाँ और कार्य।

संघ और राज्य विधानमंडल: भारतीय संसद–शक्तियाँ और कार्य; राज्य विधानमंडल–शक्तियाँ और कार्य।

भारतीय न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय–संरचना, शक्तियाँ और कार्य; उच्च न्यायालय–संरचना, शक्तियाँ और कार्य; न्यायिक समीक्षा; और न्यायिक सक्रियता।

भारत में चुनाव और राजनीतिक दल: राष्ट्रीय और राज्य दल; भारत का चुनाव आयोग; चुनावी कानून; आदर्श आचार संहिता; और दलबदल विरोधी कानून; और चुनावी सुधार उपाय।

भारतीय संघीय संरचना: केंद्र–राज्य संबंध– विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक; पंचायती राज और नगरपालिका संस्थाएँ।

संवैधानिक निकाय और प्रशासनिक नियंत्रण तंत्र: संवैधानिक पदाधिकारी; प्रशासन पर संवैधानिक, विधायी और न्यायिक नियंत्रण।

प्रशासनिक प्रणाली और प्रशासनिक सुधार: नीति आयोग; विभिन्न अधिकरण;ई–गवर्नेंस; लोकपाल; सूचना का अधिकार (आर टी आई); शिक्षा का अधिकार (आर टी ई); सार्वजनिक सेवाओं का अधिकार; नागरिक चार्टर; मंत्रालय और विभागों की भूमिका; प्रशासनिक सुधार आयोग (ए आर सी) की सिफारिशें।

राष्ट्रीय एकीकरण और चुनौतियाँ: उग्रवाद; आंतरिक सुरक्षा; अंतर–राजकीय विवाद।

उत्तराखंड की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

उत्तराखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था: संरचना और प्रक्रियाएँ।

उत्तराखंड में विधान सभा: शक्तियाँ और कार्य।

उत्तराखंड में न्यायपालिका: उच्च न्यायालय और निचली अदालत के न्यायाधीशों की नियुक्ति–एवं शक्तियाँ और कार्य; लोक अदालत; उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण; लोकायुक्त; और न्यायिक हस्तक्षेप।

उत्तराखंड में राजनीतिक दल: चुनाव, नेतृत्व, दलबदल विरोधी कानून, राजनीतिक भागीदारी और जवाबदेही।

उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन: पंचायती राज संस्थाएँ (पी आर आई) और शहरी स्थानीय निकाय; राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका।

उत्तराखंड में सामाजिक मुद्दे और समकालीन समस्याएँ: राजनीतिक और नेतृत्व के मुद्दे; भ्रष्टाचार की समस्या; नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका; शराब विरोधी आंदोलन, उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों, महिलाओं और कमजोर वर्गों की समस्याएँ; जलवायु परिवर्तन; बिजली परियोजनाओं से झील और बादल फटने का खतरा; अवैध खनन; मानव–पशु संघर्ष; मानव तस्करी एवं मादक पदार्थ सेवन दोष।

उत्तराखंड में प्रशासनिक सेवाएं और नियंत्रण: उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011; सामाजिक अंकेक्षण; नागरिक चार्टर; सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखंड।

उत्तराखंड में सामाजिक योजना क्षेत्र: महिला एवं बाल; स्वास्थ्य और कल्याण; शिक्षा और कौशल; व्यवसाय और उद्यमिता; कृषि, ग्रामीण और पर्यावरण; बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा; आवास और आश्रय; कौशल और रोजगार; खेलकूद एवं संस्कृति।

उत्तराखंड में राष्ट्रीय बुनियादी सेवा योजनाएं: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन; उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यू.रे.डा); उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन; महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना; वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना; राष्ट्रीय उद्यमिता त्वरण परियोजना(आर.ई.ए.पी.); उत्तराखंड कौशल विकास मिशन, 2013 (यूके एस डी एम); दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) योजना।

सामाजिक समावेशन के लिए सरकार की पहल: उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019; उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2022; राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण; और हाशिये पर पड़े और अन्य सामाजिक/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित अधिनियम; राज्य समान नागरिक संहिता।

सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण

सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण के अन्तर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण की समझ एवं अनुप्रयोग जिसमें दैनिक–जीवन के प्रेक्षण एवं अनुभव पर ऐसे प्रश्न होंगे, जिनकी किसी भी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण की किसी भी विशेष शाखा का विशेष अध्ययन न किया हो।

विश्वव्यापी पर्यावरणीय मुद्दे (जैसे वायु–प्रदूषण, वायुमंडलीय–प्रदूषण एवं जल–प्रदूषण) एवं इन पर नियंत्रण हेतु समाधान, ग्रीन–हाऊस प्रभाव एवं विश्वव्यापी उष्णता, समताप–मंडल में ओजोन अवक्षय, जंगलों का निम्नीकरण, वनोन्मूलन एवं कार्बन अवशोषण।

जैव–प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, मनुष्य के स्वास्थ्य एवं खाद्य–उत्पादन के क्षेत्र में जीवन–स्तर के सुधार के लिए जैव–प्रौद्योगिकी का उपयोग।

संक्रमण वाली जीवन–शैली और इसकी रोकथाम, मनुष्य के विकास हेतु पोषण संबंधी आवश्यकताएं, पशुओं, पक्षियों और पौधों में होने वाली बिमारियाँ और उनकी रोकथाम।

पॉलिमर (बायोपॉलिमर और बायो प्लास्टिक) और समाधान, मौलिक पर्यावरण रसायन विज्ञान, मृदा प्रदूषण और उनका उपचार, जीवन की उत्पत्ति, जैविक विकास एवं रासायनिक विष–विज्ञान, हरित रसायन के सिद्धांत और उनके उत्पाद, आनुवंशिक विकार।

बल, ऊर्जा, प्रकाश, विद्युत, चुम्बकत्व, अर्द्धचालक, नाभिकीय ऊर्जा, खगोल भौतिकी एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग।

कंप्यूटर के मूलभूत तत्व, इसके घटक और दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के मूलभूत तत्व, इसके अनुप्रयोग और इसका दैनिक जीवन पर प्रभाव, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग, इंटरनेट और ईमेल के उपयोग, साइबर अपराध और साइबर कानून के मूलभूत तत्व, ई–गवर्नेंस के मूलभूत तत्व एवं इसके अनुप्रयोग, उत्तराखण्ड में ई–गवर्नेंस से संबंधित पहलू।

मानवीय मूल्य, कार्य संस्कृति एवं सिविल सेवा अभिरूचि

मानवीय मूल्य : प्रकृति, प्रकार, महत्व एवं विशेषताऐं, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शिक्षा की भूमिका।

कार्य संस्कृति : अवधारणा, कार्य संस्कृति के दृष्टिकोण, प्रभावी निष्पादन के लिए कार्य संस्कृति, प्रशासन में कार्य संस्कृति की भूमिका।

अभिवृत्ति : अवधारणा, संरचना, कार्य एवं इसकी शासन में उपयोगिता।

अभिरूचि : अर्थ, सार्वजनिक सेवाओं में अभिरूचि एवं बुनियादी मूल्यों की भूमिका–सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, वस्तुनिष्टता, समानभूति और समर्पण

संवेगात्मक बुद्धि : अवधारणा, प्रशासन और शासन में इसका अनुप्रयोग।

लोक / सिविल सेवाएं : लोक प्रशासन में मूल्य और नैतिकता–सरकारी और निजी संस्थानों में चिंताए और दुविधाएँ, सार्वजनिक संगठनों में नैतिक मुद्दे।

शासन में ईमानदारी : अर्थ, विशेषताएँ, शासन में नैतिकता एवं नैतिक मूल्यों की कमी। सरकार में सूचना का आदान –प्रदान और पारदर्शिता।

भारतीय नैतिक विचारकों एवं दार्शनिकों का योगदान : महात्मा गाँधी, बी0आर0 अम्बेड़कर, स्वामी विवेकानन्द, रबिन्द्र नाथ टैगोर, ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम।

उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन (केस स्टडी)

सामान्य अध्ययन– द्वितीय प्रश्न–पत्र

अधिकतम 200 अंक **समयावधि – 03 घंटे**

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय–अर्थ एवं रूझान, क्षेत्रीय संघटन एवं संरचनात्मक परिवर्तन, संधारणीय विकास की समस्याएं, मानव विकास सूचकांक, समावेशी वृद्धिः मुददे तथा नीतिगत पहल, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।

भारत में आर्थिक नियोजनः उददेश्य, रणनीति, उपलब्धियाँ एवं सीमाएं, नीति आयोग का औचित्य, उददेश्य एवं कार्य, क्षेत्रीय असमानता, निर्धनता, आर्थिक असमानता, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारीः अर्थ, कारण, प्रभाव एवं नीतिगत पहल।

कृषि उत्पादन, उत्पादकता एवं कीमतों का रुझान, व्यावसायिकता एवं विविधीकरण, सांस्थानिक व प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, कृषि मूल्य, नीति, ग्रामीण साख : मुददे, प्रगति एवं नीतिगत पहल, खाद्य सुरक्षाः अर्थ, मुददे, प्रगति, नीतिगत पहल कृषि सब्सिडी–मुददे, समस्यांए, प्रभाव एवं नीतिगत पहल, भारत में औद्योगिक उत्पादनःः रुझान, संयोजन, औद्योगिक नीति तथा आर्थिक प्रगति पर इसका प्रभाव, MSME की भूमिका, विनियोग : चुनौतियां एवं नीति।

भारत में कर संरचना, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अवधारणा, विशेषताएं, प्रगति एवं सीमाएं, राजकोषीय संघवाद, राजकोषीय नीति तथा सुधार, वर्तमान केन्द्रीय बजट की मुख्य विशेषताएं, कालाधन– अर्थ, मुद्दे, माप, नीतिगत पहल, भारत के विदेशी व्यापार की दिशा, रुझाान तथा संयोजन; भारत के विदेशी व्यापार में नीतिगत सुधार, भारत का भुगतान संतुलन, प्रदर्शन तथा नीतियाँ, भारत तथा आर्थिक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं, संगठन एवं समूह, सार्वजनिक़ ऋण–मुददे व प्रबन्धन, भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार, डिजिटल भुगतानः मुददे, प्रणाली, प्रभाव, नीतिगत पहल, वित्तीय समावेशन, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति।

भारत की विषद जनांकिकीय विशेषताएं, पलायन एवं आर्थिक विकास, नगरीकरण से जुड़े विषय, भारत में अधःसंरचना क्षेत्रः प्रगति के चालक, एवं नीतिगत पहल।

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था की विशेषतांए, राज्य सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय, संरचनात्मक परिवर्तन, प्राकृतिक एवं मानव संसाधन, जनसंख्या एवं जनांकिकी, वन सम्पदा, ऊर्जा, कृषि एवं पशु सम्पदा। जल संसाधन व ऊर्जा विकास, प्राकृतिक आपदाएं, जड़ी–बूटी तथा खनिज।

व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगः अन्तर्राज्यीय व्यापार, विनिर्माण, भारी, मंझोले, लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास। परिवहनः सड़कें, रेलवे, विमानपत्तन योजनाएं एवं चुनौतियाँ।

सार्वजनिक वित्तः बजट, राजकोषीय नीति एवं सुधार, कर एवं कराधान, सार्वजनिक आय एवं वित्तीय घाटा, सार्वजनिक व्यय एवं ऋण।

मानव विकासः मानव विकास सूचकांक, शिक्षा व्यवस्था एवं साक्षरता, निर्धनता एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, बेरोजगारी एवं रोजगार योजनाएं/कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पेंशन एवं बीमा, समाज कल्याण एवं सरकारी योजनाएं, विस्थापन तथा पलायन, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।

कृषि एवं ग्राम्य विकासः मुख्य फसलें, फल उत्पादन, पशुपालन, कृषि जोत एवं भूसुधार, कृषक कल्याण, पंचायतीराज, सामुदायिक विकास तथा सहकारी आंदोलन, प्रौद्योगिकी परिर्वतन, कृषि विपणन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एवं ग्राम्य विकास योजनाएं।

बैंकिग एवं वित्तः समकालीन परिदृश्य, बैंकिग का विकास, बैंकिंग का राज्य जीडीपी में योगदान, समावेशी वित्त, ग्रामीण साखः चुनौतियाँ एवं नीतियाँ।

पर्यटन एवं तीर्थाटनः पर्यटन व तीर्थाटन का आर्थिक विकास में योगदान, धार्मिक पर्यटन का आर्थिक महत्व, पर्यटन विकास की योजनाएं।

भारत का भूगोल एवं जनांकिकी

इसके अन्तर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक एवं जनांकिकीय पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित होंगे। निम्नलिखित शीर्षकों पर प्रश्न पूछे जायेंगे :–

- भारत की भौगोलिक विशेषताएं।
- भौमिकीय तंत्र एवं संरचना।
- उच्चावच, अपवाह एवं नदियों को आपस में जोड़ना।
- जलवायुविक गुण– एल–निनो, ला–निना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम।
- मृदा क्षरण एवं वनोन्मूलन।
- वन, वन उत्पाद, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव विविधता हाट–स्पाट।
- पर्यावरणीय समस्याएं एवं पारिस्थितिक मुद्दे।
- भारत की अर्न्तराष्ट्रीय सीमाएं एवं उससे संबंधित भू–राजनैतिक मुद्दे।
- भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं, कृषि आधारित क्रिया–कलाप, भूमि सुधार, बंजर भूमि की समस्याएं एवं उनका पुनर्ग्रहण।
- खदान एवं खनिज, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संकट, ऊर्जा विकल्प की खोज।

- भारत में औद्योगिक विकास।
- प्रमुख परिवहन गलियारे, नागरिक उड्डयन एवं जल परिवहन की समस्याएं और सम्भावनाएं।
- भाारत के आर्थिक विकास में प्रादेशिक असमानताएं।
- भारत में प्राकृतिक आपदाएं एवं प्राकृतिक चरम घटनाएं।
- भौतिक एवं जनांकिकीय विशेषताओं के आधार पर क्षेत्रीय चेतना एवं राष्ट्रीय एकता, केंद्र–राज्य संबंध का भौगौलिक आधार।
- भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण, जनांकिकीय गुण, निर्भरता अनुपात, प्रवासन (अंतः प्रादेशिक, प्रदेशांतर एवं अन्तर्राष्ट्रीय)।

उत्तराखण्ड का भूगोल, जनांकिकी एवं आपदा प्रबंधन

- भौगोलिक स्थिति एवं उत्तराखण्ड का भू–राजनैतिक महत्व।
- उत्तराखण्ड हिमालय की उत्पत्ति, उत्तराखण्ड हिमालय के भौतिक विभाग और विभिन्न भौतिक विभागों में मानव बसाव के लिये उत्तरदायी कारक।
- प्रमुख नदियाँ एवं उनका भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरणीय और धार्मिक महत्व।
- प्रमुख पर्वत एवं उनका भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, और धार्मिक महत्व।
- जलवायु एवं जलवायु विविधता के कारण एवं प्रभाव।
- वन–संसाधन एवं वन–प्रकारों को प्रभावित करने वाले कारक, वन विविधता एवं भौतिक बनावट, ऊँचाई कटिबन्ध एवं जलवायु दशाऐं, वन संसाधन एवं आर्थिक विकास, वन–संसाधनों का संरक्षण।
- उद्यानिकी विकास एवं उत्तरदायी भौगोलिक कारक तथा जलवायुविक विविधता, उद्यानिकी की चुनौतियाँ।
- प्रमुख फसलें एवं फसल विविधता के लिये उत्तरदायी भौगोलिक कारक और जलवायुविक परिवर्तनशीलता, फसल चक्र के कारण एवं प्रभाव।
- सिंचाई के साधन एवं उनके विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सिंचाई की प्रमुख परियोजनाएं, सिंचाई योजनाएं, लघु सिंचाई।
- कृषि जोत के प्रकार एवं कारण।
- प्राकृतिक एवं मानव–जनित आपदाएं और आपदा प्रबन्धन प्रकार, कारण और उनका मानव जीवन पर प्रभाव, प्राकृतिक एवं मानव–जनित आपदाओं में आपदा–प्रबन्धन की भूमिका प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं का मानव जीवन और पर्यावरण पर प्रभाव, आपदा के प्रभाव के न्यूनीकरण के लिए उत्तराखण्ड सरकार के प्रयास।

- जलसंकट एवं जलागम प्रबन्धन–जलसंकट के लिये उत्तरदायी कारक, जलसंकट का मानव जीवन पर प्रभाव, जलसंकट के न्यूनीकरण हेतु जलागम प्रबन्धन की भूमिका, जलागम प्रबन्धन का महत्व, जलागम प्रबन्धन की चुनौतियाँ।
- दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं के प्रकार एवं कारण– पर्यावरणीय चुनौतियाँ, आर्थिक चुनौतियाँ, स्वास्थ्य सम्बम्धी चुनौतियाँ और आधारभूत सेवाओं तक पहुँच, दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने के लिये उत्तराखण्ड सरकार के प्रयास।
- पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन : प्रमुख पर्यावरणीय आन्दोलन, कारण एवं उत्तराखण्ड के विकास में प्रभाव, चिपको आन्दोलन, राज्य के लिये संघर्ष।
- जैव विविधता एवं इसका संरक्षण–जैवविविधता के प्रकार, उत्तराखण्ड की जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, उत्तराखण्ड हिमालय एक जैव–विविधता हॉट–स्पॉट के रूप में, जैवविविधता का महत्व, जैवविविधता के खतरे/जैवविविधता की चुनौतियाँ, उत्तराखण्ड में जैवविविधता के संरक्षण के लिये प्रमुख पहल।
- उत्तराखण्ड की जनसंख्या– वितरण में विविधता, घनत्व, लिंग अनुपात एवं साक्षरता की विविधता एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या प्रवास एवं इसके कारण तथा बाह्य–प्रवास का प्रभाव।

सांख्यिकीय विश्लेषण, आलेख एवं रेखाचित्र।

केन्द्रीय प्रवृत्ति की मापों, प्रसरण की मापों, आलेखों एवं चित्रों द्वारा आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण तथा उनसे सम्बन्धित अवधारणाओं के अनुप्रयोग।

समसामायिक घटनाक्रम।

अन्तर्रराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व की समसामायिक घटनाएं खेल–कूद के साथ जो निम्नलिखित से सम्बन्धित हों :

(1) वैश्विक
(2) एशिया
(3) भारत
(4) उत्तराखण्ड

Essay

Maximum marks: 100 **Time: 2 Hours**

In this paper there will be two section 'A' and 'B'. From each section, an essay of around 700 words will have to be written on any one of the following subjects:

Section-A

1. Literature and Culture.
2. Social, Political and Economic topic.
3. National/International related topic.
4. Policies related to National development, Science and Technology.
5. Environmental and Natural Disaster
   (Land Slide, Deluge, Drought and Earthquakes etc.)

Section-B

1. Historical, Artistic and Cultural Scenario of Uttarakhand.
2. Social and Cultural structure of Uttarakhand.
3. Environmental protection and Disaster management in Uttarakhand.
4. Role of women in Economy and Polity of Uttarakhand and Women Empowerment.
5. Economic and Geographical scenario of Uttarakhand and its Tourism.
   Migration problem of Uttarakhand.

General Studies – First Paper

Maximum Marks : 200 **Time : 3 Hrs**

HISTORY, ART, CULTURE AND SOCIETY OF INDIA

Various Art forms, from Ancient to Modern period- their important elements. Literature, Painting, Music.

Bhakti Movement, Sufism, its impact on Indian culture. Main personalities. Social-religious Movements and their impact on people and their life.

Indian Architecture – Main monuments, their chief characteristics.
Ancient Indian history-important rulers and their contribution.

Medieval India-Important rulers, their policies, and transition to modern India (various reasons for the decline of Muslim rule, situation of turmoil and transition to modern India)

Modern India-

- Power struggle between foreign powers in India, rise of the British in India, their policies and its impact on India and the Indians, major British rulers.
- Impact of British economic policies.
- Drain of Wealth (From India)
- Establishment of railways and other means of communication, did these services serve British economic interests.
- Progress of education, English approach towards Indian education policy.
- British policy towards Afghanistan, Burma, Tibet. Its impact on India and the world.
- British relations with native Indian rulers.
- Policies like Subsidiary Alliance, Doctrine of Lapse, Objectives of the British and their later effects.

-Freedom movement

- Renaissance in India and its impact on the national movement.
- Mahatma Gandhi's debut on the national stage.
- Various dimensions of the national movement – from Non-cooperation movement to Cabinet mission.
- Participation of Masses from different parts of India.
- Farmers and tribal movements which gave impetus to the national movement.

- The ideology of the prominent personalities who provided the base to the national movement.
- Partition- Condition and Causes.

-Challenges before India after Independence

- Economic challenges.
- Building the nation through social and cultural initiative.
- Implementation of Five-year plan and later establishment of NITI Aayog.

History, Arts, Culture and Society of Uttarakhand

History of Uttarakhand **:** Pre historic and Proto- historic background (stone age tools, The Painted Grey Ware culture, Megalithic cultures), Excavated Archaeological sites, Sources for the history of Cultural Pasts of Utttarkhand (Literary, Archaeological, Oral), Ancient Tribals and Communities, Kunindas and Yaudheyas dynasty, Administration and Cultural contributions of Katyuri, Parmar and Chand dynasty. Relations of the rulers of Uttarakhand with Sikhs, Rulers of Delhi, Nepal and Sirmor in Medieval times, Invasion of Gorkhas and its impact, Administration and Slave trade, Advent of European travelers, surveyors and missionaries, Establishment of Army Cantonments and its social impact, Colonial land and land revenue administration, Forestry, Excise Policy, Regional Political Organizations, Press and Journalism, Arya Samaj and Shuddhikaran movement, Popular People's protest- Coolie Begar, Dola-Palki, Gadi-Sadak, Forest Agitations, Arrival of Gandhi in Uttarakhand (1915, 1929) and Mass mobilization, Local responses to the Gandhian movements and popular participation, Indian National Army and its support base, Tehri Riyasat; Administration, Dhandhak, Prajamandal movement and merger into Indian Union, Struggles for the formation of separate state in Uttarakhand.

Religious life and Cults (Shaivism, Vaishanvism, Buddhism, Jainism, Nath Cult, Lakulish), Temple Architecture- Types and Features, Rock Art, Metallic Art, Wooden Art, Tradtional Knowledge System and architecture, Paintings, Music, Dance and Songs, Hydraulic Architecture- Kup, Naula, Khal, Gharat, Folk deity, Jagar, Pandav Lila, Dress, Costumes and Ornaments, Fairs and Festivals, Pilgrimage and Tourist spots-Hemkund Sahib, Nanak Matta, Kailash Mansarovar, Piran Kaliyar, Kumbh Fair, Char Dham Yatra, Nanda Raj Jat Yatra, Folk musical instruments, Food habits and local cuisines, Important personalities of Uttarakhand (Spiritual Saints, Freedom fighters, Authors, Artists), Garhwali and Kumauni language and literature, Government measures of conservation of Language and Culture.

INDIAN CONSTITUTION, POLITICAL SYSTEM AND ADMINISTRATIVE SYSTEM

Evolution of Indian Constitution: History and Constituent Assembly Debates; Salient features; Preamble and Basic Structures; Amendment Procedures and Amendment Acts.

Rights and Duties: Citizenship; Fundamental Rights; Directive Principles of State Policy; Relationship between Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy; and Fundamental Duties.

Union and State Executive: President; Prime Minister and Council of Ministers- Power and Functions; Governor; Chief Minister and Council of Ministers- Power and Functions.

Union and State Legislatures: Indian Parliament-Powers and Functions; State Legislatures-Powers and Functions.

Indian Judiciary: Supreme Court-Composition, Powers and Functions; High Courts- Composition, Powers and Functions; Judicial Review; and Judicial Activism.

Elections and Political Parties in India: National and State Parties; Election Commission of India; Electoral laws; Model Code of Conduct; Anti-Defection Laws; and Electoral Reform Measures.

Indian Federal Structure: Central-State Relations- Legislative, Financial and Administrative; Panchayati Raj and Municipal Institutions.

Constitutional Bodies and Administrative Control Mechanisms: Constitutional Functionaries; Constitutional, Legislative and Judicial Control over Administration.

Administrative System and Administrative Reforms: NITI Aayog; Different Tribunals; E-Governance; Lokpal; Right to Information (RTI); Right to Education (RTE); Right to Public Services; Citizen Charters; Role of Ministries and Departments; Administrative Reforms Commission (ARC) Recommendations.

National Integration and Challenges: Insurgency; Internal Security; Inter-State Disputes.

POLITICAL AND ADMINISTRATIVE SYSTEM OF UTTARAKHAND

Political and Administrative System of Uttarakhand: Structure and Processes.

Legislative Assembly in Uttarakhand: Powers and Functions.

Judiciary in Uttarakhand: Appointment of High Court and Lower Court Judges; Powers and Functions; Lok Adalat; Lokayukta; Uttarakhand Public Services Tribunal and Judicial Interventions.

Political Parties in Uttarakhand: Elections, Leadership, Anti-Defection Law, Political Participation and Accountability.

Local Self-Government in Uttarakhand: Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies; Role of State Election Commission.

Social Issues and Contemporary Problems in Uttarakhand: Political and Leadership Issues; Problem of Corruption; Role of Civil Society & Media; Anti-Alcohol Movement, Problems of Minorities'; Women and Weaker Sections in Uttarakhand; Climate Change; Power Projects and threat of Lake and Cloud Burst; Illegal Mining; Human-Animal Conflict; Human Trafficking and Drug Abuse Menace.

Administrative Services and Control in Uttarakhand: The Uttarakhand Right to Service Act, 2011; Social Audit; Citizen Charter; Vigilance Establishment Uttarakhand.

Social Schemes/Programmes in Uttarakhand: Women and Child; Health and Wellness; Education and Learning; Business and Entrepreneurship; Agriculture, Rural and Environment; Banking, Financial Services and Insurance; Housing and Shelter; Skills and Employment; Sports and Culture.

National Basic Services Schemes/Programmes in Uttarakhand: National Health Mission; Uttarakhand Renewable Energy Development Agency (UREDA); Uttarakhand State Rural Livelihoods Mission; Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme; Veer Chandra Singh Garhwali Paryatan Swarozgar Yojana; Rural Enterprise Acceleration Project (REAP); Uttarakhand Skill Development Mission, 2013 (UKSDM); Deen Dayal Upadhyay Grah Aawas (Home Stay) Scheme.

Government Initiatives for Social Inclusion: The Uttarakhand Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2019; The Uttarakhand Public Services (Horizontal Reservation for Women) Act, 2022; 10% Reservation in government jobs for statehood activists and their dependents and Acts related to marginalized and other socially/economically weaker sections; State Uniform Civil Code.

General Science, Technology and Environment

Questions on General Science, Technology and Environment shall be such that they shall cover general understanding and application of Science, Technology and Environment including matters of day-to-day observation and experience, as may be expected from an educated person who has not made a special study of any particular branch of science, technology and environment.

Worldwide environmental issues (like air pollution, atmospheric pollution and water pollution) and solutions for control on them, green house effect and global warming, ozone depletion in stratosphere, forest degradation, deforestation and carbon absorption.

Principles of biotechnology, Use of biotechnology for improvement of living standards in the field of human health and food production.

Infectious life style of human beings and its prevention. Nutritional requirements for human growth, Diseases of animals, birds and plants and their prevention.

Polymers (biopolymers and bio plastics) and solution. Fundamental environmental chemistry, Soil pollution and their treatment. Origin of life, Biological evolution and chemical toxicology, Principles of green chemistry and their products, Genetic disorder.

General idea of Force, Energy, Light, Electricity, Magnetism, Semiconductor, Nuclear Energy, Astrophysics and their uses in daily life.

Basics of computers, it’s components and it’s applications in daily life. Basics of information technology, it’s applications and it’s impact on daily life. Uses of word-processing, spreadsheet and presentation software. Uses of internet and email, Cyber crime and basics of cyber laws, Basics of e-Governance and it’s applications, e-Governance related aspects in Uttarakhand.

Human Values, Work Culture and Civil Service Aptitude

Human Values: Nature and Types, Importance and Characteristics
Role of Family, Society and Education in inculcating Human Values.

Work Culture: Concept, Approaches to Work Culture; Work Culture for Effective Performance, Role of Work Culture in Administration.

Attitude: Concept, Structure and Functions and its Application in Governance.

Aptitude: Meaning, Role of Aptitude and Foundational Values in Public Services- Integrity, Impartiality, Objectivity, Empathy and Dedication.

Emotional Intelligence: Concept and Application in Administration and Governance.

Public/Civil services: Values and Ethics in Public Administration Concerns and Dilemmas in Government and Private Institutions, Ethical Issues in Public Organisations.

Probity in Governance: Meaning, Features, Deficit in Ethical and Moral Values in Governance. Information Sharing and Transparency in Government.

Contribution of Indian Moral Thinkers and Philosophers: Mahatma Gandhi, B.R. Ambedkar, Swami Vivekanand, Rabindra Nath Tagore, and APJ Abdul Kalam.

Case Studies on Above Topics.

General Studies – Second Paper

Maximum Marks : 200 **Time : 3 Hrs**

INDIAN ECONOMY

Basic Features of Indian economy, National income and per capita income: Meaning & trends, Sectoral composition and structural changes, Problems of sustainable development. Human Development index. Inclusive growth: issues and policy initiatives, Economic empowerment of women.

Economic Planning in India: Objectives, strategy, achievements & limitations, Rational, objectives and functions of NITI Aayog. Regional imbalances, Poverty, Economic Inequality, Inflation and unemployment: Meaning, causes, effects & Policy initiatives.

Trends of agricultural production, productivity and prices, commercialization and diversification, Institutional and technological Changes, Agricultural Price Policy, Rural credit: Issues, Progress & Policy initiatives, Food security: Meaning, Issues, Progress & Policy initiatives, Farm subsidy: Issues, Problems, effects & Policy Initiatives, Industrial Production in India: Trends & composition, Industrial Policy and its effects on growth, Role of MSMEs, Disinvestment: Challenges and Policy.

Tax Structure in India, Goods and Service Tax (GST) : Concept, features, progress & limitation, Fiscal federalism, Fiscal Policy and reforms, Main features of Current Union Budget, Black economy : Meaning, Issues, Estimates & Policy initiatives, Trend, Direction and composition of India's foreign trade, Reforms in India's external sector, India's BOP Performance and Policy, India and Economic International institutions, organizations and groups, Public Debt : Issues & Management, Financial sector reforms in India, Digital Payments: Issues, Methods, Effects & Policy initiatives, Inclusive finance, Monetary Policy of RBI.

Broad demographic features of India, Migration and economic development, Issues related to urbanization, Infrastructure sector in India: Growth drivers and Policy initiatives.

ECONOMY OF UTTARAKHAND

Features of Uttarakhand Economy, State GDP and Per Capita Income, Structural Changes, Natural and Human Resources, Population and Demography, Forest, Energy, Agriculture and Animal wealth. Water Resources and Energy Development, Natural Disasters, Herbs and Minerals.

Trade, Commerce and Industry: Inter-state trade, Manufacturing, Heavy, Medium, Small Scale and Cottage Industries development. Transport – Roads, Railways, Airports: Programmes and Challenges.

Public Finance: Budget, Fiscal Policy and Fiscal Reforms, Taxes and Taxation, Public Income and Financial Deficit, Public Expenditure and Debt.

Human Development: Human Development Index, Literacy and Education System, Poverty and Poverty Alleviation Programmes, Unemployment and Employment Schemes/Programs, Health and Sanitation, Pension and Insurance, Social Welfare and Government Schemes, Displacenment and Migration, Economic Empowerment of Women.

Agriculture and Rural Development: Major Crops, Fruit Production, Animal Husbandry, Agricultural Holdings and Land Reforms, Farmer Welfare, Panchayati Raj, Community Development and Cooperative Movement, Technological Changes, Agricultural Marketing, Minimum Support Price, Rural Development Schemes.

Banking and Finance: Present Scenario, Development of Banking and Its Contribution to State GDP, Inclusive Finance, Rural Credit – Challenges and Policy.

Tourism and Pilgrimage: Contribution of Tourism and Pilgrimage in Economic Development, Eonomic Importance of Religious Tourism, Tourism Development Programmes and Plans.

Geography of India and Demography

It will include question on broad understanding of Indian Geography and Demography. Questions will be asked on the following topics:

- Physical features of India.
- Geological System and Structure.
- Relief, Drainage and Interlinking of Rivers.
- Climate phenomena: El-Nino, La-Nina, Southern Oscillation, Western Disturbances, Consequences of Climate Change.
- Soils degradation and Deforestation.
- Forest, Forest products, Wildlife Sanctuaries, National Parks, Biodiversity Hot-Spot.
- Environmental problems and Ecological Issues in India.
- International boundaries of India and related Geopolitical Issues.
- Salient features of Indian Agriculture, Agro-based activates, Land Reforms, Problems of Wasteland and their reclamation.
- Mines and Minerals, Energy resources, Energy crisis and search for alternatives.
- Industrial development in India.
- Major Transport Corridors, Problems and prospects of Civil Aviation and Water Transport.
- Regional disparities in Economic Development of India.
- Natural Hazards and Disasters in India.
- Regional consciousness and Nation integration of India on the basis of Physical and Demographic characteristics, Geographical basis of Center-State relations.
- Distribution and growth of population in India, Demographic characteristics, Dependency Ratio, Migration (Interregional, Interstate and International).

GEOGRAPHY OF UTTARAKHAND, DEMOGRAPHY AND DISASTER MANAGEMENT

- Geographical set up and geo-political significance of Uttarakhand.
- Origin of Uttarakhand Himalaya, physiographic divisions of Uttarakhand and geographical conditions responsible for the inhabitation in different physiographic divisions.
- Major rivers, their origin and significance-geographical, economic, cultural, environmental and religious.

- Major mountains and their significance- geographical, economic, cultural, environmental and religious.
- Climate including causes and effects of climatic diversity.
- Forest resources and the factors affecting different forest types, forest diversity and physiography; altitudinal zones and climatic conditions, forest resources and economic development, conservation of forest resources.
- Development of horticulture and responsible geographical factors and climatic variability, Challenges to horticulture.
- Major crops and geographical factors and climatic conditions responsible for crop diversity. Causes and effects of crop rotation.
- Means of irrigation and geographical factors affecting their development. Major projects of irrigation, irrigation schemes, Minor Irrigation.
- Agricultural holdings - types and their causes.
- Natural and man-made calamities and disaster management- types, causes and their impact on human life. Role of disaster management in natural and man-made calamities, Impact of natural and man-made calamities on human life and environment. Efforts of Uttarakhand Government to mitigate the impact of disasters.
- Water crisis and watershed management - factors responsible for water crisis, impact of water crisis on human life. Role of watershed management in mitigating water crisis, significance of watershed management, challenges to watershed management.
- Problems of remote areas : types and causes - environmental challenges, economic challenges, health challenges and access to basic services. Efforts of Uttarakhand Government to overcome the problems of remote areas.
- Environment and Environmental Movements-major environmental movements, their causes and impact upon the development of Uttarakhand, Chipko Movement, Struggle for statehood.
- Biodiversity and its preservation - types of biodiversity, factors affecting biodiversity of Uttarakhand, Uttarakhand Himalaya as a Biodiversity Hot-Spot of Himalaya, relevance of biodiversity, threats to biodiversity/challenges to biodiversity, Major initiatives for conservation efforts in Uttarakhand.
- Population of Uttarakhand - diversity in distribution, density, sex-ratio, literacy and factors affecting them. Migration and its causes and impact of out-migration.

Statistical analysis, graph and diagram

Statistical analysis of data through measures of central tendency, measures of dispersion, graphs and diagrams along with corresponding concepts of their application.

Current events

Current events of international and national importance alongwith games and sports related to the following:

(1) Global
(2) Asia
(3) India
(4) Uttarakhand

परिशिष्ट–03

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रारूप।

परिशिष्ट–03(1)

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–03(2)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–03(3)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या.................................वर्ष..............................हेतु मान्य दिनांक...............................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पत्नी/पुत्री...ग्राम/मुहल्ला.. पोस्ट ऑफिस..जिला..पिन कोड.............................. उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.................................की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :–

(I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या

(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या

(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या

(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..जो कि..जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम...

पदनाम..

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

परिशिष्ट–03(4)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या– 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम....................................
पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी ....
(सील) ....

<u>परिशिष्ट–03(5)</u>

<u>निःशक्तता प्रमाण–पत्र</u>

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – ....

तारीख ....

<u>निःशक्तता प्रमाण – पत्र</u>

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 ....
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ....आयु... लिंग.............................. पहचान चिन्ह.............
....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनां पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहॅुच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहॅुच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहॅुच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। ....वर्षों .... महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत .... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i)	एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(ii)	पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है ।	हॉ/नहीं
(iii)	एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(iv)	के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हॉ/नहीं
(v)	बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(vi)	एस–बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।	हॉ/नहीं
(vii)	एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(viii)	डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(ix)	एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(x)	एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(xi)	आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं

डा0.......................................)	(डा0.......................................)	(डा0.............................)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट–04

शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन मे दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत :–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात) से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–4(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–4(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–4(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–4(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–4(1) प्रमाणपत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा(प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।

6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की–बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।

7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे; उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।

9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू–तल के निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

-sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव

परिशिष्ट–04(1)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs ………………….. (name of the candidate with disability), a person with …………………..(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o …………………., a resident of …………………..(Village/District/State) and to state that he/she has physical limition which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal :

Place:

Date:

Note:Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg.Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

परिशिष्ट–04 (2)
Letter of Undertaking for using own Scribe

I …………………., a candidate with ………………….(name of the disability) appearing for the ………………….(name of the examination) bearing Roll No. …………………. at ………………….(name of the centre) in the District …………………. (name of the State). My qualification is ………………….

I do hereby state that ………………….(name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is …………………. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट–05

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा2(r) से अवमुक्त अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एवं/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट–5(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के सबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट–5(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र निम्नवत गठित बहु–सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है–

i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer.....अध्यक्ष
ii. Orthopaedic/PMR specialist
iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/Special Educator
v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–5(1)** प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान–पत्र के साथ **परिशिष्ट–5(2)** प्रमाण–पत्र एवं **परिशिष्ट–5(1)** प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक–पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा मे अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–5(1)** प्रमाण–पत्र के बिन्दु संख्या–2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।

7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू–तल पर निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

9. उक्त दिशा–निर्देश शासनादेश सख्ंयाः 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होगें।

-sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव

परिशिष्ट–05(1)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs…………………………………….(name of the candidate), s/o /D/o ……………………………..a resident of ………………………………………………………… ………… …………………………. (Vill/PO/PS/District/State), aged……… yrs. a person …………(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto ______ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer…………… Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

<u>परिशिष्ट–05(2)</u>

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I____________________, a candidate with______________(nature of disability/condition) appearing for the ________________(name of the examination) bearing Roll No. _____________________at_________________(name of the center) in the District ___________,___________(name of the State). My educational qualification is _______________.

2. I do hereby state that____________________ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is________________. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

परिशिष्ट–06

शासनादेश संख्या– 256/18–प्रा0शि0–2–88–20/82, दिनाँक 16.07.1982 ऊँचाई की नापतौल में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती .... ग्राम .... तहसील/तालुका .... जिला– .... राज्य .... के स्थायी निवासी हैं।

उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊँनी, मिजो, नागा के मूल वंश और अरुणाचल प्रदेश, लाहुल एवं स्पिति और मेघालय अभ्यर्थियों हेतु ऊँचाई की मापतौल में छूट दी गयी है।

स्थान : ....

दिनाँक : ....

हस्ताक्षर
प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम
पदनाम
पदनाम की मुहर

नोट :: कृपया जो लागू हो उस पर सही ☑ का निशान लगायें।

परिशिष्ट–07

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024 हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक (Qualifying Marks)

अनारक्षित वर्ग, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखण्ड दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक, उत्तराखण्ड अनाथ श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 समय–समय पर यथा संशोधित विनियमावली के द्वारा परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसका विवरण निम्नवत :–

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी/उपश्रेणी	प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम तैयार किए जाने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)	मुख्य/लिखित परीक्षा का परिणाम तैयार किए जाने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)	अन्तिम चयन परिणाम (सम्पूर्ण प्रवीणता सूची) तैयार किये जाने हेतु परीक्षा (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार) हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित एवं संबंधित उपश्रेणी।	35%	40%	45%
2	अन्य पिछड़ा वर्ग एवं संबंधित उपश्रेणी।	30%	35%	40%
3	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं संबंधित उपश्रेणी।	30%	35%	40%
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं संबंधित उपश्रेणी।	25%	30%	35%
5	उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित।	25%	30%	35%
6	उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन।	20%	25%	30%
7	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक।	25%	30%	35%

नोट– सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा।

परिशिष्ट–08

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024

Check List

अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख सम्बन्धी विवरण प्रपत्र।

अनुक्रमांक– ______________

क्र0 सं0	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हां/नहीं)
01	विस्तृत आवेदन पत्र **(प्रपत्र संख्या–02)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
02	प्रमाणीकरण प्रपत्र **(प्रपत्र संख्या–03)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	देशना पत्रक **(प्रपत्र संख्या–04)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।	
05	इण्टरमीडिएट अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।	
06	स्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका एवं उपाधि।	
07	परास्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका एवं उपाधि। (यदि लागू हो)	
08	अधिमानी अर्हता (यदि लागू हो)– 1. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा पूर्ण की हो। 2. नेशनल कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। 3. नेशनल कैडेट कोर का ''सी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। 4. राष्ट्रीय सेवा योजना का ''सी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। 5. विधि स्नातक की अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका एवं उपाधि।	
09	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0) (यदि लागू हो)	
10	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/दिव्यांग/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे/उत्तराखण्ड कुशल खिलाडी/उत्तराखण्ड राज्य के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित) (यदि लागू हो)	
11	उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आंदोलनकारी कोटे से क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है अथवा नहीं। (यदि लागू हो)	

12	स्थायी निवास प्रमाण–पत्र। (यदि लागू हो)	
13	यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में शारीरिक मानक में छूट का दावा किया गया हो, तो दावे के सापेक्ष पर्वतीय क्षेत्र प्रमाणपत्र।	
14	पूर्व सैनिक हेतु डिस्चार्ज प्रमाण पत्र तथा इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) कि अभ्यर्थी पूर्व में पूर्व–सैनिक के आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुआ है। (यदि लागू हो)	
15	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (यदि लागू हो)	
16	यदि अभ्यर्थी के स्वंय/पिता/माता/पति के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में। (यदि लागू हो)	
17	विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (समूह 'ग' पद हेतु) के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछित अर्हता (Required Eligibility) के अंतर्गत (Yes) चयनित किये गये निम्न बिन्दु/बिन्दुओं में से किसी एक के समर्थन में पुष्ट प्रमाण–पत्र/अभिलेख–	
	1. Is Your name registered in any District Employment Office located in Uttarakhand State? अथवा	
	2. Are You Employed? अथवा	
	3. Have You passed your High School and Intermediate or any other equivalent exams from any recognized institution situated in the State of Uttarakhand? अथवा	
	4.(i) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Armed Forces/Paramilitary Forces serving in the state or Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(ii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the State Government/Semi Government organisation serving on a regular basis in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(iii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Central Government organisation/Central Government Public service undertaking and are working regularly on the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	5.(i) Are you permanent resident of Uttarakhand but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purposes? अथवा	
	5.(ii) Is your spouse or your parents permanent residents of Uttarakhand but are residing outside Uttarakhand for livelihood/education purposes?	
18	अभिलेख सत्यापन हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि।	
19	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body)

ने नियमित प्रमाण–पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या–310 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओ हेतु जारी हों।

*** आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ई0डब्लू0एस0 प्रमाण–पत्र, आवेदन की अन्तिम तिथि तक अवश्य वैध होना चाहिए।

नोट– अभ्यर्थी उक्तानुसार विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या–02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या–03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या–04) के 02–02 सेट पृथक–पृथक पूर्ण रूप से स्वयं की Handwriting में भरे हुए एवं समस्त प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर ....

अभ्यर्थी का नाम ....